संख्या 195 /11–XIX–2/89 खाद्य/2003

प्रेषक,

डॉ0 दिलबाग सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2011

विषयः–सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लाभांश को रू0 6.00 प्रति कुन्तल से बढ़ाकर रू0 18.00 प्रति कुन्तल किये जाने तथा आन्तरिक गोदाम से सस्ते गल्ले की दुकानों तक होने वाले वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने एवं उपरोक्त दोनों मदों पर व्यय होने वाली धनराशि का समायोजन सस्ता गल्ला दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी चालानों में किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 15.02.2011 को राज्य के सस्ता गल्ला विक्रेता संघ एवं शासन के उच्चाधिकारियों के साथ हुई बैठक में हुए विचार–विमर्श के परिपेक्ष्य में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के पत्र संख्या 963/आ0खा0/खाद्यान्न/2010–11 दिनांक 23.02.2011 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आलोक में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयों में निम्नलिखित बिन्दुओं पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 राशनकार्ड धारकों को निर्धारित दरों पर (बी0पी0एल0 श्रेणी को गेहूँ रू0 2.00 प्रति किलो तथा चावल रू0 3.00 प्रति किलो एवं ए0पी0एल0 श्रेणी को गेहूँ रू0 4.00 प्रति किलो तथा चावल रू0 6.00 प्रति किलो) खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु कार्यरत सरकारी सस्ता गल्ला दुकानदारों के लाभांश को रू0 6.00 प्रति कुन्तल से बढ़ाकर रू0 18.00 प्रति कुन्तल किया जाता है।
2. आन्तरिक गोदाम से सस्ते गल्ले की दुकानों तक होने वाले वास्तविक परिवहन व्यय का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर सरकार द्वारा वहन किये जाने विषयक एवं उपरोक्त दोनों मदों पर आगणित होने वाली धनराशि का समायोजन सस्ता गल्ला दुकानदारों द्वारा प्रस्तुत ट्रेजरी चालानों में समायोजित की जायेगी।

अन्त्योदय योजना परिवहन बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में भी उक्त प्रक्रिया अपनायी जाये ताकि योजनाओं में एकरूपता बनी रहे। वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत यदि किसी राशन

विक्रेता की लाभांश एवं वास्तविक परिवहन व्यय की धनराशि बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 के लिए निर्धारित दरें उठाये गये खाद्यान्न के मूल्य से यदि अधिक हो जाती है तो राशन विक्रेता द्वारा लाभांश की धनराशि चालान में समायोजित करते हुए खाद्यान्न उठाया जायेगा। तदोपरान्त गोदाम से दुकान तक की सम्पूर्ण वास्तविक परिवहन व्यय एवं लाभांश की धनराशि का भुगतान खाद्यान्न उठान के उपरान्त शासनादेश दिनांक 05.02.2011 द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुसार देयक प्रस्तुत किये जाने पर ही प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार द्वारा राशन विक्रेताओं को वास्तविक परिवहन व्यय एवं लाभांश का भुगतान प्रतिमाह प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के उददेश्य से विभागीय लेखाशीर्षक '4408' की सुसंगत मदों के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारियों के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

3. उक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के पश्चात किये जाने वाले खाद्यान्न उठान के देयकों पर ही लागू होंगे।

4. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या 226पी/XXVII(5)/2010–11 दिनांक 25.03.2011 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 दिलबाग सिंह)
सचिव।

संख्या /11–XIX–2/89 खाद्य/2003 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग।
8. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समन्वयक एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 दिलबाग सिंह)
सचिव।